77

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 451—तीन/2003 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24—01—2003 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 33/2002—03/अपील

.....

तोताराम पुत्र श्री पतंगीलाल,
निवासी—ग्राम भगवासी, तहसील व
जिला— भिण्ड, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— राधेसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह,
निवासी— ग्राम भदाकुर,तहसील व
जिला— भिण्ड, म0प्र0

2— रविशंकर

3— अनिल कुमार, पुत्रगण रामरतन

4— राजकुमारी बेवा बैजनाथ

5— गंगाचरणा

6— श्यामचरणा

7— ओमप्रकाश

8— राम नरेश सभी पुत्रगण श्री बैजनाथ

9— अनादेव बेवा श्री भगवती चरण

10— पूतीराम

11— धनलाल

12— संजय

13— मुन्ना, पुत्रगण श्री भगवती चरण,
निवासीगण— ग्राम भगवासी, तहसील व
जिला— भिण्ड, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 4-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–01–2003 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि नायब तहसीलदार वृत्त फूफ ने अपने प्रकरण कमांक 5/94–95/अ–46 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2001 द्वारा रजिस्टर्डविकय पत्र के आधार पर अनावेदक क्र0 1 राधेसिंह के नाम नामांतरण स्वीकार किया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक तोताराम द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड ने अपने प्रकरण कमांक 92/2000–01/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 23.10.02 द्वारा आवेदक की अपील निरस्त कर दी गई। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के उक्त प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23.10.2002 के विरूद्ध द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त न्यायालय में विधिवत प्रकरण क्रमांक 33/2002–03/अपील पर दर्ज किया जाकर दिनांक 24.01.2003 को आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि का आवेदक काश्ताकर था, जिसके आधार पर उसने नायब तहसीलदार के समक्ष धारा 190–110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भूमि स्वामी घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार ने आवेदक की साक्ष्य लेकर प्रकरण में अंतिम बहस हेतु आदेश की तसरीख पेशी नियत की थी, इसी दौरान अनावेदक क्र0 1 राधेसिंह ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपना नामांतरण कराने हेतु आवेदन दिया । नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2001 द्वारा अनावेदक क्र0 1 का नामांमरण स्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जहॉ पर अपील निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा । जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में पेश की गई, जिसमें विधिवत प्रकरण क्रमांक 33/2002–03/अपील दर्ज किया

जाकर दिनांक 24–01–2003 से अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि अनावेदक क्र0 1 ने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भूमि क्रय की है । विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में इसबात की विवेचना की है कि आवेदक का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं था। इस प्रकार उसे न तो मौरूष्सी काश्तकार और न ही भूमि स्वामी के स्वत्व प्राप्त थे। ऐसी स्थिति में अभिलिखित भूमिस्वामी द्वारा किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण विधिसम्मत है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की जावे ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–01–2003 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर